

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक : 44 /आर.-354 /2021 /ब-1 /चार
प्रति,

भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2022

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग / नर्मदा घाटी विकास विभाग,
जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन, व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के संबंध में
दिशा-निर्देश ।

संदर्भ :- 1. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक : 350 /आर.22 /2021 /ब-1 /चार, दिनांक 31 मार्च 2021
2. इस विभाग का परिपत्र क्रं0-654 /आर-354 /2021 /ब-1 /चार दिनांक 28 जुलाई 2021

000

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए संदर्भित पत्र की कंडिका (II) व्यय की
त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत बिन्दु क्रं0-4 की उपकंडिका 4.2 में विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट-2 अनुसार
निर्धारित की गई है । विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि माह जनवरी 2022 के लिए परिशिष्ट-2'बी'
अनुसार पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा (पूंजीगत) निर्धारित की जाती है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)

संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय भोपाल
भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2022

क्रमांक : 45 /आर-354 /2021 /ब-1 /चार

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर / भोपाल ।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल ।
3. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in
पर अपलोड करने हेतु ।

(अरविन्द कुमार गुप्ता)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट-2 "बी"

वित्तीय वर्ष 2021-22 के जनवरी माह के लिए पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा (पूँजीगत)
(राशि रूपये करोड़ में)

क्र०	विभाग	मॉग एवं मुख्य शीर्ष	जनवरी 2022
1	लोक निर्माण विभाग	24, 53-4059, 4216, 5053 एवं 5054	600
2	नर्मदा घाटी विकास विभाग	48-4700,4701,4801	400
3	जल संसाधन विभाग	23-4700, 4701, 4702, 4705, एवं 4711	500

Jan
14/01/22